

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन राजस्व एवं अपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2017-18

घरघोडा दिनांक 27/08/2021

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण (भ./स.) रायगढ़ संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत रायगढ़-हमीरपुर मार्ग सडक निर्माण हेतु के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इसका उक्त भूमि का प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची


भूमि का वर्णन:-

1. जिला- रायगढ़
2. तहसील- तमनार
3. ग्राम- पाली
4. क्षेत्रफल- 0.235 हे.

खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
7/1	0.040	66	0.065	3/2	0.077	67/1	0.053
योग कुल खसरा नं० 4 कुल रकबा 0.235 हे०							

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।
पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रसाशक/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(भीम सिंह)
कलेक्टर

जिला रायगढ़

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

